

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 231

दिनांक:- 20/3/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू-लातेहार T/L निर्माण कुल 169.0098 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमंडल-103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-7.9685 हे०, एवं राँची वन प्रमंडल-57.3603 हे०), वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 714 दिनांक 18.03.2019
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1549 दिनांक 21.06.2019
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 406 दिनांक 04.03.2020

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल 169.0098 हे०, वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy प्रत्येक वन प्रमंडल से इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन तीन वन प्रमंडलों क्रमशः लातेहार वन प्रमंडल, रामगढ़ वन प्रमंडल, एवं राँची वन प्रमंडल अन्तर्गत से होकर गुजरेगी। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर बोकारो, एवं राँची के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 505.9663 हे० भूमि की आवश्यकता है जिसमें 169.0098 हे० वनभूमि है एवं 336.9565 हे० गैर वनभूमि है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form A पार्ट-I में आवेदन दर्ज है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की प्रमंडलवार रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	29.695	73.986	103.681	0.5
2	रामगढ़	4.2055	3.763	7.9685	0.9
3	राँची	36.9223	20.438	57.3603	0.8
कुल :		70.8228	98.187	169.0098	

4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार, रामगढ़, एवं राँची वन प्रमंडल का अनुशंसा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर, बोकारो, एवं राँची की अनुशंसा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार ने अपने पार्ट-II कंडिका 11 के 1(c) में 0.6192 हे० वनभूमि में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन किये जाने का उल्लेख किया गया है। साथ ही वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि "Many towers have been found erected on notified and demarcated forest land as well GMJJ (deemed forest) land to be diverted. So this is a case of violation of provision of F.C. Act, 1980 therefore penal provisions shall be applicable as per Govt. of Indian guidelines."
7. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
8. 1:50,000 स्केल के टोपोग्राफी पर लोकेशन मैप संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।

11. तीनों वन प्रमंडलों में Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची प्रस्ताव साथ संलग्न है। वनभूमि में वृक्षों की कुल संख्या 9581 प्रस्तावित है।
12. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ इस परियोजना के अन्तर्गत कुल 98.187 हे० जंगल-झाड़ी उपयोग के संबंध में तीनों वन प्रमंडल सं संबंधित उपायुक्तों/आयुक्त का अनापति प्रमाण-पत्र निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	जिला का नाम	पत्रांक व/दिनांक	कुल रकबा हे० में	
1	राँची	राँची	पत्रांक 2145 (ii) रा० दिनांक 26.08.2019	3.8754 हे०	15.0264
	राँची	राँची	पत्रांक 2144 (ii) रा० दिनांक 26.08.2019	4.548 हे०	
	राँची	राँची	पत्रांक 2143 (ii) रा० दिनांक 26.08.2019	3.859 हे०	
	राँची	लातेहार	पत्रांक 888 दिनांक 16.10.2019	2.744 हे०	
2	रामगढ़	रामगढ़	1476 / रा० दिनांक 24.11.2015	2.03	2.03
3	लातेहार	आयुक्त लातेहार	पत्रांक 194 दिनांक 19.03.2018	79.276 हे०	79.276
कुल :					96.3324

इस परियोजना में प्रयुक्त कुल 98.187 हे० जंगल झाड़ी उपयोग के विरुद्ध मात्र 96.3324 हे० हेतु संबंधित उपायुक्त/आयुक्त का अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त है। शेष 1.854 हे० क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

14. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत उपायुक्त, लातेहार, रामगढ़ एवं राँची द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र निम्नवत् है:-

F.R.A Details for 400 KV D/C PTPS- Latehar T'L					
SI No.	Name of District	Letter No.	Date	Village Name	Area (Ha)
1	Ramgadh	1223/WEL	11.12.2018	Dadidih	1.8353
	Ramgadh	1222/WEL	11.12.2018	Koto	3.2402
	Ramgadh	1224/WEL	11.12.2018	Rochap	0.55
	Ramgadh	5 IMP	03.03.2015	Rochap	1.25
	Ramgadh	5 IMP	03.03.2015	Katia	0.66
	Ramgadh	2 IMP	14.02.2015	Hafua	0.433
2	Latehar	19	26.08.2017	Ulgara, Kulgara, Patraru, Hosir, Rehaldag, Nindir, Turidih, Demu, Hundru, Nawadih (Alis Kalyanpur), Bariyatu Jagir, Durwa, Rajhar, Tupukhurd, Godna, Parsahi Jalta, Kali, Dhoti, Malhan, Lohrsi, Hutap, Botsidag, Lukuiya, Chiro, Rud, Chetar, Aan, Kita, Sons, Bulhu	103.681
3	Ranchi	2140 (ii) रा०	26.08.2019	Hering, Umendanda, Lothamana, Ojhasaram & Muna	19.1074
	Ranchi	2141(ii) रा०	26.08.2019	Chama & Ramdaga	7.427
	Ranchi	2142 (ii) रा०	26.08.2019	Harhu, Konka & Dulli	17.3783
	Latehar	24	16.10.2019	Nindra & Belgara	2.744
Total					158.3062

15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
16. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु तीनों वन प्रमंडलों में कुल 169.0098 हे० अपयोजित होने वाली वनभूमि के दोगुने 338.0196 हे० के विरुद्ध कुल 339 हे० अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा (हे०)
1	लातेहार	रांकी कला	लातेहार / 119	1160,1166,1168,1170,1173,1177,1181,1194	50 हे०
		गडगोमा	बालूमाथ / 30	765,748	50 हे०
		सिरम	बालूमाथ / 232	91,92,96,98,99,104,109,110,111	53 हे०
		अलौदिया	बालूमाथ / 272	27	57 हे०
2	रामगढ़	कनकी	माण्डू / 47	1370	16 हे०
3	राँची	चूरी	बुढ़मू / 16	1302	53 हे०
		होयर	बुढ़मू / 17	262,622,633,479	60 हे०
कुल :-					339 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

17. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष्य एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
18. प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन में Eco-Sensitive zone एवं rare/endangered/unique species की स्थिति प्रमंडलवार निम्नवत् है:-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	Eco-Sensitive zone की स्थिति, Yes/No	Eco-Sensitive zone में अवस्थित मौजा का नाम	जन्तुओं का नाम
1.	लातेहार	Yes	Nawadih, Bariyatu Jagir, Durua, Bajkum, Rajhar, Tupukhurd, Godna, Parsahi and Jalta	Jackal, Hyaena, Mongoose, Snakes etc.
2	रामगढ़	No	—	Elephant, wild boar, fox, striped hyena, reptiles, barking deer etc.
3	राँची	No	—	Indian Elephant, Sloth Boar, Spotted deer, Leopard, porcupine, pangolin, wild boar, Python etc.

19. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि “ *A specific wildlife Management plan needs to be proposed at the cost of User Agency.*”
20. प्रस्ताव से संबंधित CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा *specific Condition* के साथ अनुशंसा की गई है, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत है।
22. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

तीनों वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 169.0098 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

K. S. 18.3.2020
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
 बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K. S.
 18.3.2020

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

400 KV Patratu - Latehar Transmission Line 172.0795 ha

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

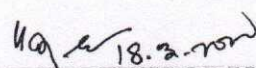
(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 169.0098 ha out of 172.0795 ha Forest land with penal provision for reported 0.6192 ha area under violation in Latehar Forest Division as per MoEF guidelines dated 29.01.2018

Date :- 18.03.2020

Place :- Ranchi.

Signature


(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer
Name & Designation.

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)